

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Faridabad Branch Office

Address: SCO 21, Sector 12 Faridabad-121007

Phones: 0129-2292175, 2292179

Fax: 0129-2291860 E-Mail: fdo@bis.org.in web: http://www.bis.org.in

प्रेस विज्ञाप्त

दिनांक: 07 जून 2017

भारतीय मानक ब्यूरो का बोतल बन्द पेयजल पर नकली आई एस आई मुहर लगाकर बेचने वाली फर्म मै0 बाबा जी इन्टरप्राइसिज़, बहादुरगढ, जिला झज्जर पर छापा

भारतीय मानक ब्यूरों के फरीदाबाद शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने सूचना मिलने पर भारतीय मानक ब्यूरो, फरीदाबाद शाखा के प्रमुख श्री सुनील कुमार के आदेशानुसार मैं0 बाबा जी इन्टरप्राइसिज़, प्लॉट सं0 191, सैक्टर 16, एचएसआईआईडीसी, बहादुरगढ, जिला झज्जर में स्थित सिटी पुलिस स्टेशन, बहादुरगढ, जिला झज्जर, हरियाणा पुलिस के सहयोग से आई० एस0 आई0 मुहर के दुरूपयोग के खिलाफ दिनांक 06 जून 2017, मंगलवार को बोतल बन्द पेयजल बनाने वाली फर्म मैं0 बाबा जी इन्टरप्राइसिज़, प्लॉट सं0 191, सैक्टर 16, एचएसआईआईडीसी, बहादुरगढ, जिला झज्जर के परिसर पर छापा मारा । फर्म एक लीटर की पैट बोतलों एवं पी पी गिलास पर आई एस आई मार्क का दुरूपयोग करती पाई गई। फर्म के मालिक का नाम श्री अरविन्द कुमार है। भारतीय मानक ब्यूरों की टीम का नेतृत्व श्री ए0 के0 पोपली, वैज्ञानिक सी ने किया। टीम के अन्य सदस्य श्री पी0 के0 गुप्ता, वैज्ञानिक सी और श्री तपन कुमार हलदार, वैज्ञानिक बी और सिटी पुलिस स्टेशन, जिला झज्जर, हरियाणा पुलिस के अधिकारी शामिल थे।

छापा मारने के समय भारी मात्रा में 1 लीटर की पैट बोतनें और 250 मि0ली0 पी पी गलास आई एस आई मुहर और लाइसेंस सं0 9512346721 लगे लेबल ब्राण्ड "प्योर ड्रिप" पाए गए एवं फर्म आई एस आई मार्क लगी एक लीटर बोतल पेयजल से भर कर तैयार कर रही थी । यह फर्म बोतल बन्द पेयजल को तैयार कर आई एस आई मुहर लगाकर दुरूपयोग कर रही थी जो कि भारतीय मानक ब्यूरों के लाइसेंस के बिना अवैध है । बन्द पेयजल भारतीय मानक 14543:2004 एफ.एस.एस.ए.आई अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आई0 एस0 आई0 का मुहरांकन अनिवार्य है । इस फर्म व इसके मालिक के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरों अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । इस तरह के अपराध की सज़ा बी आई एस अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत एक वर्ष तक का कारावास अथवा 50,000/रूपये जुर्माना या दोनों है। छापा टीम ने फर्म द्वारा भरीं गई आई0 एस0 आई0 मुहर लगी बोतलों और पी पी गलासों पर आई0 एस0 आई0 मार्क और ब्राण्ड "प्योर ड्रिप" प्रिंट किये गये स्टीकर लेबल रोल को अपने कब्जे में ले लिया।

भारतीय मानक ब्यूरों के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि इस तरह से बिना लाइसेंस के आई0 एस0 आई0 मार्क लगा कर जो भी कोई उत्पाद बना या बेच रहा है, उस पर भी जल्दी ही उचित कार्यवाही की जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरों के प्रवक्ता ने यह भी सूचित किया कि निर्माताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों पर आई एस आई मुहर का गलत उपयोग करने, बेचने और उत्पादों के इकटठा करने वालों पर छापा मारा जाएगा और फरीदाबाद शाखा के अन्तंगत छापे मारने की योजना है। अधिकारी ने आम जनता से आई एस आई मुहर के किसी भी दुरूपयोग की सूचना (जो उनके नोटिस में आती है) निम्नलिखित पते पर देने की अपील की।

श्री ए0 के0 पोपली, वैज्ञानिक सी एवं पी0 जी0 ओ0, भारतीय मानक ब्यूरो, एस0 सी ओ0 21, सैक्टर 12, फरीदाबाद — 121007 दुरभाष: 0129-2292173, 0129-2292175

अदलकारी (सुनील कुमार) वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Faridabad Branch Office

Address: SCO 21, Sector 12 Faridabad-121007

Phones: 0129-2292175, 2292179

Fax: 0129-2291860 E-Mail: fdo@bis.org.in

web: http://www.bis.org.in

PRESS RELEASE

07 June 2017

BIS Raids Bahadurgarh, Distt. Jhajjar firm, M/s Baba Ji Enterprises manufacturing and packing Packaged drinking water without BIS licence

Based on the information received about misuse of BIS Standard Mark, officers of Bureau of Indian Standards (BIS), Faridabad Branch Office conducted a raid with the help of City police station, Bahadurgarh on the premises of firm, M/s Baba Ji Enterprises, Plot No. 191, Sector 16, HSIIDC, Bahadurgarh - 124507 on Tuesday, 06 June 2017 as directed by Head of the Branch Office, BIS, Faridabad Shri Sunil Kumar. Firm was found misusing ISI mark on 1 ltr. pet bottles and 250 ml PP glasses of Packaged drinking water. The name of the owner of the firm is Shri Arvind Kumar. The above raid was conducted by a team consisting of Shri A.K. Popli, Scientist C and team leader, Shri P.K. Gupta, Scientist C and Shri Tapan Kumar Haldar, Scientist B alongwith the officers of Haryana police, City police station, Bahadurgarh, Distt. Jhajjar, Haryana.

During the raid, large number of 1 ltr. pet bottles and 250 ml. PP glasses marked with ISI mark, Licence No.9512346721 and brand name "Pure drip" were available and the firm was found filling Packaged drinking water in 1 ltr. PET bottles bearing ISI mark. It was observed that the firm was manufacturing the Packaged drinking water and marking with ISI mark without obtaining the BIS licence which is illegal. The packaged drinking water (IS 14543:2004) is mandatory under FSSAI Regulations, 2011 and no person can manufacture, sell and display Packaged drinking water without valid BIS licence. The action is being initiated against the owner of the firm under BIS Act, 1986. The penalty for this type of offence is one year imprisonment or Rs. 50,000/- or both. The ISI marked Packaged drinking water bottles, glasses and printed sticker label roll used for labeling the bottles with ISI mark, licence No. and brand "Pure drip" have been seized.

It is informed by the BIS spokesperson that the action shall be taken against the manufacturers who are using ISI mark on Packaged drinking water without valid BIS licence. Other manufacturers who are selling and storing the products with duplicate ISI mark without valid BIS licence shall also be raided and there is a plan of such raids in the jurisdiction of Faridabad Branch Office of BIS. It is appealed to the general public to give information regarding any misuse of ISI mark noticed at the following address:

Shri A.K. Popli, Scientist C & P.G.O., Bureau of Indian Standards, SCO 21, Sector 12, Faridabad – 121007 Phone: 0129-2292173, 0129-2292175

(Sunil Kumar)
Scientist F & Head